अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

9311 / 26/3/14 18864 / 3/3/14

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेष पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या – 402 / 2013–14

मो0 बरकात एवं 01 अन्य बनाम नूर आलम एवं 03 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत वाद में (1) मो0 बरकात पे0– मो0 इस्लाम (2) मो0 शमीम पे0– मो0 तैयब दोनों ग्राम– बघौनी टोले मोटगाह थाना– बहेड़ी अंचल– बहेड़ी प्रगना– हावी जिला– दरभंगा आवेदकगण तथा (1) नूर आलम (2) मो0 मुस्लिम (3) मो0 खुर्शीद (4) मो0 शहाबुद्दीन चारो पिता– मो0 सुल्तान चारो ग्राम– बघौनी टोले मोटगाह थाना– बहेड़ी अंचल– बहेड़ी प्रगना– हावी जिला– दरभंगा विपक्षी पक्षकार हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा– बघौनी टोले मोटगाह थाना– बहेड़ी अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा में स्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

मद नं0– 01

तफसील जायदाद जो हबीबुल हसन की जायदाद थी साकिन मौजे – बघौनी टोले मोटगाह, थाना– बहेड़ी, अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा

खाता	खेसरा	रकवा
46 पु0	2342 (पु0)	32 डी0
1240 नया	6254 (नया)	
	6255 (नया)	

मद नं0– 01 (क)

तफसील जायदाद जो पी0 डब्लु डी0 विभाग ने अधिग्रहण किया।

खाता	खेसरा	रकवा
46 पु0	2342 (पु0)	15 डी0
1240 नया	6254 (नया)	
	6255 (नया)	

19/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

मद नं0– 02

तफसील जायदाद जिसे मो0 इदरीश ने वजरिए केवाला मरकुमे तारीख 26.03.1991 ई0 से मो0 सुभान मंसुरी को बेचा वो सुभान मंसुरी ने वजरिए केवाला मरकुमे तारीख 25.05.1991 ई0 को प्रतिवादीगण को बेच दिया।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		बी0–क0–धुर	
46	2342 पु0	0–1–10	उत्तर–शेख अनामुल हक
1240 नया	6255 नया		दक्षिण– सड़क पी0 डब्लु0 डी0
			पूरब– नीज मन मोकीर
			पश्चिम– अब्बास

मद नं0– 03

तफसील जायदाद जो वजरिए केवाला करके मुताबिक 25.03.2013 ई0 मो0 असलम वगैरह ने वादीगण को बेचा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		बी0–क0–धुर	
46	2342 पु0	0–02–04	उत्तर–अब्दुल मन्नान
1240 नया	6255 नया		दक्षिण– सड़क
			पूरब– मोहम्मद हसनैन
			पश्चिम– नीज मनमोकीरान

वादी की ओर से एक वंशावली शेख वीरो के खानदान का वाद पत्र में दर्ज है जिस वंशावली को देखने से यह ज्ञात होता है कि शेख वीरों को दो पुत्र अब्दुल समद वो हबीबुल हसन हुए, अब्दुल समद उर्फ बच्चु को तीन पुत्र शेख अब्बास, शेख अताउर रहमान, शेख सफीउर रहमान हुआ वो हबीबुल हसन को एक पुत्र इदरीस हुआ। वादी के अधिवक्ता का कथन है कि पुराना खेसरा नं0– 2342 खाता नं0– 46 रकवा– 32 डी0 शेख वीरो की मौरुसी जायदाद थी जिसका विवरण वाद पत्र के अनुसूची– 01 में दर्ज है। पुराना खेसरा 2342 का रकवा बहुत बड़ा था वो शेख वीरो को

19/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	एक मात्र 32 डी0 जमीन खेसरा– 2342 में था, पुराना खेसरा नं0– 2342 से नया खेसरा 6254 वो 6255 बना। 6254 का नया खतियान शेख अब्बास वो अताउर रहमान वो सफीउर रहमान एक अंश वो शेख हबीबुल हसन एक अंश बना वो नया खेसरा 6255 मात्र हबीबुल हसन के नाम पर हीं बना। पी0 डब्लु विभाग ने लगभग 15 डी0 जमीन खेसरा नं0– 6254 एवं 6255 जो पुराना खेसरा 2342 से बना हैसेअर्जित किया जिसका विवरण वाद पत्र के अनुसूची 01 (क) में दर्ज है तथा भूमि अर्जन की मुआवजा राशि सर्वे खतियान के इन्द्राज के अनुसार शेख अब्बास अताउर रहमान वो सफीउर रहमान तथा मो0 इदरीस ने लिया। वादी का यह भी कथन है कि अब सिर्फ हबीबुल हसन का मात्र 17 डी0 जमीन बचा, हबीबुल हसन को एक पुत्र इदरीस हुआ जो मो0 इदरीस ने दस्तावेज दिनांक 26.03.1991 से खेसरा 6255 पुराना वो नया खेसरा 2342 नया रकवा 01 कट्ठा 10 धुर पश्चिम से मो0 सुभान मसूरी को बेच दिया जिसका विवरण अनुसूची 02 वाद पत्र में है। वो सुभान मंसूरी ने दस्तावेज दिनांक 24.05.1991 से अनुसूची– 02 के जमीन प्रतिवादीगण को बेच दिया, मो0 इदरीस 2010 ई0 में मरे वो इदरीस को पुराना खेसरा 2342 नया खेसरा 6255 में 02 कट्ठा 04 धुर जमीन पुरब से बचा जिसका विवरण अनुसूची– 03 वाद पत्र में दर्ज है, एवं अनुसूची– 03 की जमीन के उतराधिकारीगण मो0 इदरीस के उतराधिकारीगण मो0 असलम वो मो0 सईदा खातुन, बीबी रौशन खातुन ने दस्तावेज दिनांक– 25.03.2013 से वादी को बेच दिया, वादी ने अपने खरीदी हुए जमीन पर मिट्टी भराकर झोपड़ी तैयार किया, प्रतिवादीगण के अनुसूची– 02 एवं वादी के अनुसूची– 03 के जमीन का सीमा मिलता है, इसलिए प्रतिवादीगण सीमा विवाद करने लगे, अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच का अनुसूची– 02 एवं 03 के सम्पति का सीमांकन कराया जाय तथा प्रतिवादीगण को अनुसूची– 03 के सम्पति में हस्तक्षेप करने से रोका जाय। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में जटिल हकीयत, अधिकार वो दखल–कब्जा की बात सन्निहित है, इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने यह वाद तथ्यों को छुपाकर, न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह वाद दायर किया है तथा प्रतिवाद पत्र में यह	

19/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	कथन है कि वाद पत्र का कण्डिका 01 से 06 तक की बात सत्य है तथा उनका यह भी कथन है कि खेसरा नं0– 2342, रकवा 15.5 डिसमिल भूमि सड़क में अधिग्रहण किया गया तथा उन्होनें यह बात स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण ने अनुसूची–02 की सम्पति को खरीद किया तथा दखल कब्जा में है उनका यह भी कथन है कि वे सीमा विवाद के निराकरण हेतु दिनांक 09.09.2013 ई0 को अंचल अधिकारी, बहेड़ी के यहाँ अपने खेसरा नं0– 2342 का रकवा 01 कट्ठा 10 धुर का सीमांकन शुल्क जमा किया। उभय पक्षों के वाद पत्र एवं लिखित कथन, साक्ष्य एवं बहस से यह स्पष्ट है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवादग्रस्त खेसरा नं0– 2342, रकवा– 32 डिसमिल जो मद नं0– 01 में वर्णित है, शेख वीरो की थी जिससे नया खेसरा नं0– 6254 एवं 6255 बना है एवं विपक्षी ने केवाला दिनांक 24.05.1991 के द्वारा मो0 इद्रीस के खरीददार से मद नं0– 02 की 01 कट्ठा 10 धुर जमीन खरीद किया है तथा केवाला के समय से हीं प्रश्नगत जमीन पर प्रतिवादीगण का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। इनके (प्रतिवादी) अनुसार दाखिल–खारिज वाद संख्या– 365/83–84 से प्रश्नगत जमीन का दाखिल–खारिज प्रतिवादी के नाम से हो चुका है, जिसका जमाबन्दी सं0– 1214 है। तथा प्रतिवादी द्वारा लगान का भुगतान किया जा रहा है जिसपर प्रतिवादी दखलकार रहते चले आ रहे हैं। ये सभी तथ्य उभय पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य हैं। सरकार द्वारा उक्त खेसरा से 15.5 डिसमिल भूमि अधिगृहित की गई, इस तरह शेख वीरो के दोनों पुत्रों के वंशजों के बांकि बचे 16.5 डिसमिल भूमि में आधा–आधा हिस्सा है। मो0 इद्रीस द्वारा 01 कट्ठा 10 धुर भूमि विपक्षीगण को हस्तान्तरित करने के बाद मो0 इद्रीस की शाखा को लगभग 05–06 धुर भूमि हीं शेष बच जाती है। इस तरह उनके वंशजों द्वारा पुनः 02 कट्ठा 04 धुर भूमि बेचा जाना संदेह उत्पन्न करता है, पुनः यदि आवेदक द्वारा मो0 इद्रीस के वंशज से ही बांकि बचे भूमि का केवाला कराया गया है तो आवेदक की खरीदगी भूमि की चौहद्दी में विपक्षीगण को दिखाया जाना चाहिए जो उनके केवाला या मद नं0– 03 के विवरण की भूमि में दर्ज नहीं है। इस तरह वादी द्वारा माँगे गए अनुतोष– ख दिया जाना इस न्यायालय द्वारा संभव नहीं है। बल्कि अनुतोष–"क" दिया जाना हीं संभव है।	

19/05/14